न्यायालयः—द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जौरा जिला मुरैना म.प्र.
(समक्ष—जाकिर हुसैन)

सत्र प्रकरण क्रमांक 59/13.
संस्थित दिनांक 8/02/2013.
सी.आई.एस.नं.230203006952013

कमल सिंह पुत्र गोपाल सिंह उम्र 19 वर्ष
निवासी ग्राम छिनवरा जिला मुरैना म.प्र.

. .....अभियोगी

वि रू द्ध

1.प्रेम सिंह पुत्र चंदन सिंह उम्र 30 वर्ष
2.मानपाल सिंह पुत्र चंदन सिंह उम्र 40 वर्ष
3.सुघरा उर्फ सुघर सिंह पुत्र चंदन सिंह उम्र 35 वर्ष
4.कोक सिंह पुत्र जगन्नाथ उम्र 25 वर्ष
5.सुरेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह उम्र 25 वर्ष
निवासीगण ग्राम छिनवरा थाना देवगढ जिला मुरैना म.प्र.

.....आरोपीगण

.....

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जौरा, (श्री अरविंद रघुवंशी) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 353/11 में पारित उपार्पण आदेश दिनांकित 6.2.2013 से उत्पन्न यह प्रकरण।

.....

राज्य द्वारा :—श्री अनिल अग्रवाल अ.लो.अ.
अभियोगी द्वारा अधि. :—श्री एस.एल. अग्रवाल अधिवक्ता.
आरोपीगण द्वारा :—श्री एन.आर त्यागी अधिवक्ता.

.....

//नि र्ण य//

(आज दिनांक 7.11.2015 को घोषित)

1. आरोपीगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (अत्र पश्चात ''संहिता'' से सम्बोधित) की धारा 324/34 एवं 323/34 के अपराध का यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 7/12/10 की शाम लगभग 7:30

बजे ग्राम छिनवरा में कमल सिंह आदि की उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी प्रेम सिंह ने कमल सिंह को फरसा मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में पदम सिंह, बारेलाल, राकेश के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2. अभियोजन कथानक अनुसार परिवादी कमल सिंह द्वारा न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जौरा के समक्ष लेखीय रूप में आवेदन प्रस्तुत किया कि वह ग्राम छिनवरा का मूल निवासी होकर अपने पिता गोपाल एवं परिवार के साथ गांव में निवासरत है, दिनांक 7/12/10 की शाम लगभग 7:30 बजे आरोपीगण योजनाबद्ध तरीके से उसे व उसके परिवार को मारने की नियत से आये और उसके घर के दरवाजे के सामने बैल बांध दिये थे उसके मना करने पर वे बोले कि सरकारी जगह है हमारे बैल यहीं बंधेंगे और एक राय होकर मां, बहन की बुरी–बुरी गाली देने लगे, गाली देने से मना करने पर प्रेम सिंह ने उसके सिर में फरसा मारा, फरसा लगने से खून निकल आया, पदम सिंह बचाने आये तो मानपाल ने उसके बांये हाथ की कोहनी में लाठी मारी और जब बारेलाल व राकेश बीच–बचाव करने आये तो सुघर सिंह, कोक सिंह व सुरेन्द्र ने उनके साथ थाप घूसों से मारपीट की और गाली देकर बोले कि आज तो बचा लिया, आइंदा बैल बांधने से रोका तो जान से खत्म कर देंगे। घटना की रिपोर्ट थाना देवगढ में की गयी तब पुलिस ने सही रिपोर्ट नहीं लिखी और दूसरे दिन दिनांक 8/12/10 को अदम चैक की कार्बन प्रति दी और आहतगण को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जौरा उपचार हेतु भेजा, चिकित्सक ने उनकी सही जांच नहीं की, पुलिस ने भी आरोपीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है तदनुसार आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

3. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जौरा द्वारा परिवादी कमल सिंह एवं आहत बारेलाल, राकेश एवं साक्षी केदार के धारा 200, 202 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किये गये, तदउपरांत आरोपीगण के विरूद्ध संहिता की धारा 504, 323 के अपराध का संज्ञान लिया जाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया। परिवाद पत्र की घटना से सम्बंधित क्रास केस सत्र प्र.क्र. 6/11 अपर सत्र न्यायालय जौरा में विचाराधीन होने से दं.प्र.सं. की धारा 323 के अंतर्गत परिवाद को उपार्पित किया गया उपार्पण पश्चात माननीय सत्र न्यायाधीश मुरैना के आदेशानुसार यह प्रकरण विधिवत निराकरण हेतु इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त।

4. मेरे पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा आरोपीगण पर संहिता की धारा 324/34, 323/34 के अपराध का आरोप लगाया गया। आरोपीगण ने अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा उनकी प्ली अंकित की गयी। धारा

313 दं.प्र.सं. के प्रावधान के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त करते हुये यह प्रकट किया है कि फरियादी पक्ष सुघर सिंह, सुरेन्द्र सिंह की दिनांक 7/12/10 को घातक हथियारों से सुसज्जित होकर मारपीट कर गंभीर चोट कारित की गयी जिससे बचने के लिये असत्य मामला बनवाया गया है, आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

5. विचारण के प्रक्रम पर आहतगण एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपीगण को संहिता की धारा 323/34 के आरोप से आदेश दिनांक 7/10/14 को दोषमुक्त किया जा चुका है अब प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित बिंदु विचारणीय हैंः–

> ''क्या आरोपीगण दिनांक 7/12/10 को शाम लगभग 7:30 बजे ग्राम छिनवरा में कमल सिंह की उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और सामान्य आशय के अग्रसरण में सह आरोपी प्रेम सिंह ने कमल सिंह को फरसा मारकर स्वेच्छया उपहतिकारित की?

//निष्कर्ष के कारण एवं आधार //

6. अभियोजन साक्षी कमल अ.सा. 1 ने मौखिक कथन में यह अभिकथित किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से पौने तीन वर्ष पहले शाम के 7 बजे मानपाल, प्रेम सिंह, सुघरा, सुरेन्द्र एवं कोक सिंह ने उसके दरवाजे पर बैल बांध दिये थे मना करने पर वे लोग बुरी–बुरी गाली देने लगे फिर प्रेम सिंह ने उसके सिर में फरसा मार दिया। पदम सिंह को मानपाल ने लाठी मारी थी, राकेश और बारेलाल जब बचाने आये तो मानपाल, प्रेम सिंह, कोक सिंह, सुरेन्द्र ने लात घूसों से उन्हें मारा था।

7. अभियोजन साक्षी राकेश अ.सा. 2 के कथनानुसार घटना दिनांक को शाम 7:30 बजे मानपाल, प्रेम सिंह, सुघरा, कोक सिंह और सुरेश ने झगडा किया था, पांचों लोग कमल सिंह के दरवाजे पर जबरदस्ती बैल बांधने के लिये गये थे कमल सिंह ने अपने दरवाजे पर बैल बांधने से मना किया तो पांचों लोगों ने कहा कि सरकारी जगह है उनके बैल यही बंधेगे, प्रेम सिंह ने कमल सिंह के सिर में फरसा मार दिया था पदम सिंह ने बीच–बचाव किया तो मानपाल ने उसे लाठी मारी जो उसके बांये हाथ की कोहनी में लगी। इस साक्षी का यह भी कहना है कि वह तथा बारेलाल बीच–बचाव करने के लिये पहुंचे तो पांचों लोगों ने उनकी मारपीट की, मारपीट से उसके सिर में और बारेलाल को भी सिर में चोट आई थी।

8. कमल सिंह अ.सा. 1 का यह भी कहना है कि वह रिपोर्ट करने के लिये घटना के बाद गया था, किंतु पुलिस वालों ने उन्हें रिपोर्ट नहीं दी, पुलिस ने उन्हें दूसरे दिन जौरा उपचार के लिये भेजा था तब उनकी डॉक्टरी और एक्सरे हुआ था। इस साक्षी का यह भी कहना है कि पुलिस ने जो रिपोर्ट उन्हें दिखाई थी उसकी कार्बन प्रति प्र.पी. 1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। राकेश बघेल अ.सा. 2 का भी कहना है कि घटना के बाद थाना देवगढ में उन्होंने रिपोर्ट की थी जौरा अस्पताल में उसकी तथा कमल सिंह, बारेलाल और पदम सिंह की डॉक्टरी जांच भी हुई थी।

9. अभियोजन साक्षी रामजीलाल अवस्थी अ.सा. 3 ने मौखिक कथन में यह अभिकथित किया है कि दिनांक 8/12/10 को कमल सिंह ने प्रेम सिंह, मानपाल, सुघरा और कोक सिंह के विरूद्ध मारपीट करने और गाली–गलौच करने की रिपोर्ट की थी जो उसने थाना देवगढ के अदम चैक क्रमांक 73/10 पर लेखबद्ध की थी जो प्र.पी. 1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, इसके बाद आहत का मेडिकल करवाया था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने केवल अदम चैक लिखी थी प्रकरण में कोई विवेचना नहीं की, उसने प्र.पी. 1 में फरियादी को मेडिकल हेतु भेजा था भी नहीं लिखा है।

10. डॉ गोविंद पंवार अ.सा. 4 के कथन से इंगित होता है कि दिनांक 8/12/10 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जौरा में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को थाना देवगढ के आरक्षक राकेश मावई नं. 146 द्वारा उसके समक्ष आहत पदम सिंह, बारेलाल एवं राकेश को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। इस साक्षी का यह भी कहना है कि आहत पदम सिंह की बांई अग्र भुजा पर बीच के हिस्से में बाहरी सतह पर नीलगू चोट थी, बारेलाल के सिर के पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में बांई तरफ फटा हुआ घाव था तथा राकेश के सिर में फ्रंटलरीजन में बीच के हिस्से में फटा हुआ घाव था उक्त आहतगण को आई चोटे सख्त एवं भौंथरी वस्तु द्वारा पहुंचाई गयी थीं जिनकी अवधि परीक्षण से 6 घंटे के अंदर की थी जिसके सम्बंध में क्रमशः प्र.पी. 2, 3, 4 का परीक्षण प्रतिवेदन दिया गया जिस पर उसके हस्ताक्षर है जिनकी छाया प्रति क्रमश प्र.पी. 2–सी, 3–सी, 4–सी हैं।

11. डॉ गोविंद पंवार अ.सा. 4 का यह भी कहना है कि उसी दिनांक को उक्त आरक्षक उसके समक्ष आहत कमल सिंह पुत्र गोपाल आयु 19 वर्ष निवासी छिनवरा को भी चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया था परीक्षण पर उसके उक्त आहत के शरीर पर निम्न चोटे पाई थीं:–

> चोट क्रमांक 1– आहत के सिर के दाहिने रीजन में पैराइटल रीजन में 4 गुणा 0.5 सेटीमीटर गुणा मसलडीप की गहराई तक फटा हुआ घाव था जिसके मार्जन खुदरे थे घाव के चारों ओर खून जमा था।

चोट क्रमांक 2–बांई आंख के नीचे 3 गुणा 0.5 आकार का खरोंच का निशान था जिसके चारों ओर रक्त जमा हुआ था।

12. इस साक्षी के कथनानुसार आहत की चोट क्रमांक 1 के लिये एक्सरे परीक्षण की सलाह दी गयी, आहत की उक्त चोटे उसके परीक्षण से 6 घंटे की अवधि के अंदर की थी जो सख्त एवं भौंथरी वस्तु से पहुंचाई गयी थी चोट क्रमांक 2 साधारण प्रकृति की थी और चोट क्रमांक 1 के सम्बंध में अभिमत एक्सरे रिपोर्ट के अध्ययन के पश्चात दिये जाने का अभिमत दिया था, इस साक्षी ने परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी. 5 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है जिसकी छाया प्रति प्र.पी. 5–सी है। इस साक्षी का यह भी कहना है कि आहतगण के एक्सरे परीक्षण के अध्ययन से उसने पाया था कि आहतगण को कोई अस्थिभंग नहीं था।

13. राकेश अ.सा. 2 ने यह स्वीकार किया है कि सुघर सिंह की मारपीट का केस गोपाल, कप्तान और चौब सिंह के विरूद्ध इसी न्यायालय में चल रहा है गोपाल, कप्तान और चौब सिंह गांव के नाते उसके भाई लगते हैं गोपाल और चौब सिंह सगे भाई हैं, इस प्रकार इस साक्षी के कथन से यह तो स्पष्ट है कि आरोपी सुघर सिंह की मारपीट के सम्बंध में आहत कमल सिंह के पिता गोपाल एवं उनके भाइयों के वियद्ध प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है किंतु कमल सिंह अ.सा. 1 ने उक्त तथ्य से इंकार करते हुये यह अभिकथित किया है कि उसके पिता गोपाल और चाचा चौब सिंह एवं कप्तान के विरूद्ध सुघर सिंह वगैरा के साथ मारपीट करने का मुकदमा इस न्यायालय में नही चल रहा है तथा दिनांक 7/12/10 को सुघर सिंह के साथ उक्त लोगों ने मारपीट की थी और इसी मारपीट का मुकदमा चल रहा है।

14. रामजीलाल अवस्थी अ.सा. 3 जोकि घटना दिनांक को थाना देवगढ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि उसने गोपाल, चौब सिंह आदि के विरूद्ध दिनांक 7/12/10 को सुघर सिंह की रिपोर्ट पर से अप.क्र. 64/10 की कायमी की थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि फरियादी कमल सिंह ने प्र.पी. 1 की रिपोर्ट घटना के एक दिन बाद दिनांक 8/12/10 को की थी।

15. इस प्रकार रामजीलाल अवस्थी एवं राकेश अ.सा. 2 जोकि अभियोजन मामले अनुसार आहत भी है के कथन से यह स्पष्ट होता है कि आहत कमल सिंह के पिता गोपाल और कमल सिंह के चाचा पर आरोपी सुघर सिंह की मारपीट के सम्बंध में थाना देवगढ में अपराध कायमी हुई थी और उसके सम्बंध में न्यायालय में मुकदमा भी विचाराधीन है किंतु आहत कमल सिंह ने उक्त तथ्य से इंकार किया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि यह साक्षी जानबूझकर अपने पिता और चाचा के विरूद्ध

लम्बित मामले के तथ्य को न्यायालय में प्रकट नहीं कर रहा है।

16. कमल सिंह अ.सा. 1 के कथनानुसार घटना शाम के 7 बजे की है और 7 बजे ही वह रिपोर्ट करने के लिये गये थे जबकि राकेश अ. सा. 2 ने घटना 7:30 बजे की होना और रिपोर्ट के लिये रात को 9 बजे जाना बताया है इस प्रकार घटना के समय एवं रिपोर्ट हेतु जाने के समय में दोनों साक्षीगण के कथन में विरोधाभास है।

17. कमल सिंह अ.सा. 1 के कथनानुसार प्रेम सिंह ने उसके सिर में फरसा मारा था तथा मानपाल ने पदम सिंह को लाठी मारी थी और राकेश, बारेलाल के साथ मानपाल, प्रेम सिंह, कोक सिंह, सुरेन्द्र ने लात घ ूसों से मारपीट की थी पुलिस ने उन्हें दूसरे दिन डॉक्टरी के लिये भेजा था, किंतु राकेश अ.सा. 2 के कथनानुसार पुलिस मौके पर नहीं आई थी वह स्वयं गाडी ठीक करके जौरा अस्पताल गये थे और डॉक्टर से अपना इलाज करवाया था किस डॉक्टर ने उनका इलाज किया उसे नहीं मालूम इस प्रकार आहतगण स्वयं उपचार हेतु गये या उन्हें पुलिस ने भेजा इस सम्बंध में उक्त दोनों ही साक्षीगण के कथन में गंभीर विरोधाभास है।

18. कमल सिंह अ.सा. 1 के कथनानुसार उसके सिर में प्रेम सिंह ने फरसा मारा था जबकि प्र.पी. 1 के लेखकर्ता रामजीलाल अवस्थी अ.सा. 3 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 2 में यह बताया है कि कमल सिंह ने उसे लात घूसा और लाठी से मारपीट बावत रिपोर्ट की थी अन्य किसी हथियार से रिपोर्ट करना लेख नहीं किया था। इसी प्रकार राकेश अ.सा. 2 ने भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 2 में यह बताया है कि जो घटना शाम 7:30 बजे की है उसमें उसे केवल ईट, पत्थरों की एक चोट आई थी पदम सिंह, कमल सिंह और बारेलाल को भी एक–एक चोट आई थी इन सभी को ईट, पत्थर की चोट आई थी।

19. इसी प्रकार चिकित्सीय साक्षी डॉ गोविंद पंवार अ.सा. 4 का भी कहना है कि आहत कमल सिंह के सिर पर उसने फटा हुआ घाव देखा था जो किसी सख्त एवं भौंथरी वस्तु से पहुंचाया गया था यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ईट, पत्थर किसने मारे थे इस तथ्य का स्पष्टीकरण स्वयं आहत कमल सिंह एवं राकेश के कथन से नहीं हुआ है। इसी प्रक्रम पर यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में बारेलाल और पदम सिंह को भी आहत होना बताया गया है किंतु उक्त दोनों साक्षीगण का कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है उक्त दोनों ही साक्षी अभियोजन मामले हेतु महत्वपूर्ण साक्षी हो सकते थे।

20. कमल सिंह अ.सा. 1 के कथनानुसार आरोपीगण ने उसके द्व ार पर बैल बांध दिये थे तो उसने मना किया था तब आरोपीगण ने गालियां दी प्रेम सिंह ने उसके सिर में फरसा मारा, इस साक्षी के

कथनानुसार घटना स्थल उसके घर का दरवाजा है जबकि राकेश अ.सा. 2 के कथनानुसार जहां झगडा हुआ था वह जगह पदम सिंह की है जिसका सर्वे नम्बर और रकबा उसे नहीं मालूम है। इस साक्षी का स्पष्ट कहना है कि उसे बीच–बचाव में ईट की चोट आई थी या पत्थर की वह नहीं बता सकता घटना अंधेरी रात थी। माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्व ारा न्यायदृष्टांत मंशाराम बनाम म.प्र. राज्य 1988 (2) एम.पी.डब्लू.एन शॉर्ट नं. 42 में यह अभिनिर्धारित किया है कि अपराध का स्थान स्थापित नहीं किया गया साक्ष्य में महत्वपूर्ण असंगति है अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया।

21. राकेश अ.सा. 2 के कथनानुसार कमल सिंह के सिर में फरसा लगने से खून जमीन पर गिरा था प्रेम सिंह के कपडे भी खून से बिगडे थे, इसी प्रकार कमल सिंह अ.सा. 1 का भी कहना है कि उसके कपडे खून से बिगड गये थे किंतु खून आलूदा कोई कपडे पुलिस को जप्त नहीं कराये गये हैं कपडे जप्त नहीं कराये जाने का कोई स्पष्टीकरण फरियादी द्वारा नहीं दिया गया है यह तथ्य इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि घटना के तुरंत पश्चात उसके द्वारा रिपोर्ट के लिये जाना बताया गया है और पुलिस ने डॉक्टरी के लिये उसे जौरा भेजा था भी बताया गया है ऐसी स्थिति में यदि आहत के कपडे खून से बिगडे हुये थे तो निश्चित ही खून आलूदा कपडे जप्त किये जाते, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि उक्त दोनों साक्षीगण ने बडाचढाकर कथन दिये हैं।

22. प्र.पी. 1 की रिपोर्ट अनुसार घटना दिनांक 7/12/10 की है किंतु आहत का चिकित्सीय परीक्षण 8/12/10 को हुआ है चिकित्सक डॉ गोविंद पंवार अ.सा. 4 ने स्पष्ट रूप से बताया है कि आहतगण की चोटे उसके परीक्षण से 6 घंटे के अंदर की थी और सभी चोटे गिरने से, रगड खाने से या रगडने से आ सकती हैं तथा स्वयं के द्वारा भी कारित की जा सकती हैं ऐसी स्थिति में इस सम्बंध में संदेह उत्पन्न होता है कि दिनांक 7/12/10 को आहत कमल सिंह को प्रेम सिंह द्वारा सिर में फरसा मारकर चोट कारित की गयी।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत मथुरा यादव बनाम बिहार राज्य 2003 (1) एम.पी.डब्लू.एन शॉर्ट नोट 75 में यह अभिनिर्धारित किया है कि नातेदार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन में सुस्पष्ट लोप तथा फर्क की उपेक्षा नहीं की जा सकती स्वतंत्र साक्षी यद्य पि उपस्थित थे किंतु उनकी परीक्षा नहीं की गयी अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है तथा न्यायदृष्टांत तोरन सिंह बनाम म.प्र. राज्य 2002 (2) सी.सी.आर.जे. 573 (सु.को) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्व ारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कथन में विरोधाभास और लोप होने पर आरोपी को संदेह का लाभ दिया जा सकता है।

24. आरोपीगण की ओर से पक्ष समर्थन में न्यायदृष्टांत धीर सिंह बनाम म.प्र. राज्य 1988 (1) एम.पी.डब्लू.एन शॉर्ट नोट 49 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय की द्विखंडीय पीठ ने साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 की उपधारणा के सम्बंध में यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वतंत्र साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया गया अभियोजन के विरूद्ध प्रतिकूल अनुमान किया जा सकता है।

25. आरोपीगण की ओर से पक्ष समर्थन में न्यायदृष्टांत शिवप्रसाद बनाम तिहारू 1996 (2) एम.पी.डब्लू.एन शॉर्ट नोट 152 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन को अपना पक्ष कथन संदेह से परे स्थापित करना होता है अभियुक्त से अन्यथा साबित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

26. हस्तगत मामले में अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि आरक्षी केन्द्र देवगढ में आहत कमल सिंह के पिता और चाचा के विरूद्ध की गयी रिपोर्ट के पश्चात यह परिवाद प्रस्तुत किया गया ऐसी स्थिति में यह उपधारणा भी बनती है कि पूर्व की रिपोर्ट से बचने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त कमल सिंह अ. सा. 1 ने यह अभिकथित किया है कि आरोपीगण ने उसके द्वार पर बैल बांध दिये थे और जब उन्हें मना किया तो उन्होने गाली दी प्रेम सिंह ने उसके सिर में फरसा मारा, इसी प्रक्रम पर यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी के एवं राकेश के कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि आरोपीगण घ ाटना के पूर्व फरसा और लाठी लेकर कमल सिंह के दरवाजे पर आये थे स्वयं आहत ने ही यह नहीं बताया है कि आरोपीगण के हाथ में उसने उक्त हथियार देखे थे ऐसी स्थिति में अभियोजन को यह तथ्य भी प्रमाणित करना था कि आरोपी प्रेम सिंह के पास घटना के समय फरसा कहा से आया क्या वह फरसा लेकर ही आहत के दरवाजे पर आया था या फिर गाली की घटना होने पर वह कहीं अन्यत्र से फरसा लेकर आया उक्त तथ्य के अभाव में भी अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है।

27. प्रकरण की समग्र विवेचना तथा परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य के परिशीलन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन के उक्त सभी चक्षुदर्शी साक्षीगण के कथन विरोधाभासी है जिससे अभियोजन का संपूर्ण मामला संदेहास्पद हो जाता है अतः अभियोजन आरोपीगण के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः उक्त आरोपीगण को संहिता की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। तद्नुसार उक्त आरोपीगण को इस प्रकरण में स्वतंत्र किया जाता है।

28. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

29. अभिलेखानुसार उक्त आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

(जाकिर हुसैन)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
जौरा जिला मुरैना (म.प्र.)
दिनांक 7/11/2015.

मेरे निर्देशन पर टंकित किया

(जाकिर हुसैन)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
जौरा जिला मुरैना (म.प्र.)